न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 04/20 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No. : 2020/00029

1. श्री अब्दूल मजीद पिता एनुदीन मुसलमान निवासी ढुढिया तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्रीमती मगनीबाई पत्नी प्रतापगिरी गोस्वामी निवासी ढुढियां तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. स्वयं प्रार्थी।

2. राजपेरोकार मावली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 11.02.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 451 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमीन पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिससमें मेरी खातेदारी भूमि पर कृषि नहीं कर पा रहा हुं। पूर्व में मेरे द्वारा उक्त आराजी पर मेरे खातेदारी आराजी के नजदीकी आराजी नम्बर 442 मी. रकबा 15 बिस्वा में से मुझ प्रार्थी द्वारा आवागमन किया जा रहा था परन्तु खातेदार द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर देने से मेरे भूमि पर नहीं जा पा रहा हुं। अतः उक्त भूमि पर जाने हेतु 25 फीट रास्ता उपलब्ध कराया जावें।
2. यह कि आराजी नम्बर 442 मी. रकबा 15 बिस्वा में मगनीबाई पत्नी प्रतागिरी गोस्वामी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। यह कि मेरे आराजी पर पहुंचने का यह सबसे निकटतम रास्ता यही है जिससे प्रार्थी को भी भूमि का कम नुकसान होगा। उक्त आराजी में से रास्ता दर्ज करने पर जो भी सरकार द्वारा राशि जमा करने हेतु आदेशित किया जायेगा उसे मैं जमा करवाने हेतु सहमत हुं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:50 IST
Reason: SelfAttested

3. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में तहसीलदार मावली उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

5. प्रकरण में प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में बिन्दूवार रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

6. हमने प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

   1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

      प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 451 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

   2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

      तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

   3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

      तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

   4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 442 मी. रकबा 15 बिस्वा में से 02.16 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 25 फीट चौडी हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 6,21,090/- अक्षरे छः लाख ईक्कीस हजार नब्बे रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 02.16 बिस्वा की कुल कीमत 86,952/- अक्षरे छियासी हजार नौ सौ बावन रूपयें होना बताया हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा ढुंढिया पटवार क्षेत्र ढुंढिया की आराजी नम्बर 451 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 442 मी. में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षी की आराजी में से प्रस्तावित 25 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 25 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 442 मी में रकबा 15 बिस्वा में से 02.16 बिस्वा का प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 02.16 बिस्वा का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार क्षेत्र ढुंढिया की आराजी नम्बर 451 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 442 मी रकबा 15 बिस्वा में से 02.16 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 25 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 6,21,090/- अक्षरे छः लाख ईक्कीस हजार नब्बे रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 02.16 बिस्वा की कुल कीमत 86,952/- का दुगुना 1,73,904/- रूपयें अक्षरे एक लाख तिहेत्तर हजार नौ सौ चार रूपयें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 18:26:50 IST
Reason: SelfAttested

राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:50 IST
Reason: SelfAttested